RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 नवम्बर, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 6

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि शीतगृह उघोग के प्रमुख सहयोगी डा. रमाशंकर कठेरिया भारत सरकार मे मंत्री बन गए है।

शीतगृह उद्योग की ओर से हम उन्हें हार्दिक बधाई दे रहे हैं और उनकी और प्रगति की कामना कर रहे है।

श्री कठेरिया एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आप 1986 में संघ के स्वयंसेवक बने। 2001 मे सघं के महानगर सहकार्यवाहक बना दिए गए। 2005 तक आप जिला महामंत्री के पद पर पहुँच चुके थे। 2007 आप जिला अध्यक्ष चुने गए और 2009 में पहली बार सांसद बने। आपकी कार्यशैली से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी प्रभावित हुए और उन्होंने 2014 में आपको संसद और संगठन मे राष्ट्रीय महासचिव का पद प्रदान किया और अब आपको मानव संसाधन का राज्य मंत्री बना कर देश की सेवा करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी है।

हमें आशा है अब इस नये पद को आप अपनी योग्यता और कमर्ठ कार्यशैली से बहुत सफलतापूर्वक निभाएंगे। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है।

इस समय तक शीतगृह का सीजन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अधिकांश शीतगृहों से पूरी तरह से आलू निकाला जा चुका है और सफाई का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। आप सब जितनी

जल्दी हो सके सफाई व मरमत का कार्यक्रम चालू कर दें क्योंकि समय कम मिल पाता है और बाद में पिछले काम की देख भाल सही नहीं हो पाती। इन दिनों में शीतगृहों में कार्यरत कर्मचारी भी छुट्टियों पर जाते हैं इसलिए काम की देखभाल में परेशानी और रूकावट आती रहती है।

जैसे आप सबने देखा होगा कि 7/8 दिसम्बर से ही पंजाब के नए आलू की आवक शुरू हो गई और मण्डियों में आलू के भाव गिरने लगे। इसमें वह भण्डारणकर्ता जो दिसम्बर के पहले सप्ताह के बाद की तेजी के भरोसे बैठे रहे होंगे अवश्य फसे होंगे। हमे पूरे देश से आलू के भाव थोड़े–थोड़े नीचे आने के समाचार मिल रहे हैं। यह समाचार दिसम्बर पहले सप्ताह से ही चालू हो गए थे।

इस वर्ष अच्छी बुआई होने की पूरी सम्भावना है क्योंकि अभी कम से कम उत्तर प्रदेश में किसानों को आलू से अच्छी फायदेमन्द फसल कोई दूसरी नजर नहीं आ रही है। गन्ना किसानों का भविष्य पूरी तरह अधर में लटका हुआ है, कभी तो उनका पुराना पेमन्ट नहीं मिलता है और कभी गन्ने की खरीद नहीं होती है। अभी तक गन्ना मीलें चालू नहीं हुई है न ही गन्ने के रेट निर्धारित किए गए हैं। इसलिए हम पूरी तरह आशवस्त है कि आलू का क्षेत्रफल कम से कम 15 प्रतिशत बढ़ जायेगा। यह क्षेत्रफल कहीं और ज्यादा बढ़ जाता अगर किसानों को उनकी मर्जी का आलू का बीज भी मिल पाता। इस समय आलू का बीज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन देने वाला बीज तो बिलकुल न की मात्रा में है। यदि किसी तरह से सरकार बीज आलू की उपलब्धि प्रचुर मात्रा में कर दे तो आलू का वर्तमान उत्पादन दो गुना हो जाने में कोई कसर नहीं रहेगी और तब शीतगृह आसानी से भर सकेंगे।

हमारे अनुमान के अनुसार हमारे देश में आलू की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। हरी सब्जियों की कमी आलू पर बहुत बोझ डाल रही है। हर साल बाढ़, तूफान व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने से कहीं न कहीं फसलें चौपट होती रहती हैं इसलिए आलू की माँग और बढ़ जाती है। इसलिए शीतगृहस्वामियों का यह भय की यदि शीतगृह क्षमता पूरी तरह से भर जायेगी तो शीतगृहों से आलू निकल नहीं पायेगा अब सही नजर नहीं आती। आज से चार से पाँच साल पहले तो यह बात लागू होती थी परन्तु अब यह बात सही नहीं लगती। हमारे व्यापारी अब आलू निर्यात में भी दक्ष हो गए हैं। आशा की जाती है कि आलू की माँग बराबर बनी रहेगी। इस वर्ष पाकिस्तान को भी आलू बहुत अच्छी मात्रा मे निर्यात किया गया। इससे यह साबित होता है कि पड़ोसी देशों में भी आलू की कमी चल रही है। अभी भारत सरकार ने बढ़ते हुए आलू के भावों को रोकने के लिए आलू आयात करने की सोची परन्तु ऐसा लगता है कि अन्य देशों में आलू की उपलब्धता न होने के कारण आलू आयात नहीं हो पाया।

लघु उद्योगों के लिए कानूनो में सुधार :

माननीय नरेन्द्र मोदी चुनाव के समय लघु उद्योगों की तरफ चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने

कहा था कि लघु उद्यमी का काफी समय उद्योग पर लगने वाले कानूनों से निपटाने में चला जाता है और वह मासिक रूप से अपने उद्योग की प्रगति व रख रखाव पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है। शीतगृह एक लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। यह नया नियम केवल उन उद्योगों पर लागू होना जिनके पास कर्मचारियों की संख्या 40 से कम होगी।

अब सरकार ने उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर लघु उद्योगों पर लगने वाले करीब 14 कानूनो को जो कि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों पर आधारित है के लिए एक नई स्कीम लाने का निणर्य किया जाता है।

इस सम्बन्ध में एक बिल लाने का फैसला किया गया है जो कि संसद के शीतकालीन सत्र में रखे जाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में 6.11.2014 (Times of India) टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपी हुई खबर को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके।

Single law to govern small factories

New Delhi : Aiming to ease doing business in India and give push to the manufacturing sector as part of PM's 'Make in India' campaign, the Labour Ministry is ready with the draft proposal for a single law to govern small factories having less than 40 workers.

The draft legislation replaces 14 existing labour laws applicable to small scale industries and is aimed at making compliance of laws easier for the sector. "The aim is not to dilute the provisions of the existing labour laws, but to reduce the cost of compliance of several laws currently governing these small factories", said an official of the Labour Ministry.

The move would benefit labourers as it would encourage small manufacturing units to employ an organised work-force. "It would lead to growth of small-scale units that would lead to job creation", said an official. The draft bill Small Factories (Regulation of Employment and other Conditions of Service), Act 2014 is likely to be introduced in winter session of Parliament commencing later this month. At present, small units have to comply with 44 Central labour laws and over 100 State laws, a cumbersome exercise, which discourages them to hire workers from organised sector and thus denying them basic rights.

आलू उत्पादन में नई खोज :

आलू उत्पादन मे इस समय भारत के कृषि वैज्ञानिकों का आलू पर विशेष लगाव होता जा रहा।

किसी तरह आलू उत्पादन बढ़ाया जाए यह उनकी प्राथमिकता है। इसमें यह आवश्यक है कि आलू की फसल में किसी प्रकार का रोग न लगे इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा नए–नए किस्म के बीज व दवाइयाँ तैयार की जा रही। इसी कड़ी में अब टेस्ट ट्यूब आलू भी तैयार किया जा रहा है। इसकी कुछ रिपोर्ट हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि दैनिक जागरण 6 नवम्बर में प्रकाशित हुई।

टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह पैदा होगा आलू :

आपको शायद विश्वास न आए, लेकिन अब शीघ्र ही ऐसे आलू बाजार में उपलब्ध होंगे, जिनमें किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। यह आलू आकार में भी एक जैसा होगा। इस सपने को थापर विश्वविद्यालय के एक शोध ने सफल किया है। विश्वविद्यालय में क्लोन से संक्रमण रहित आलू पैदा किए हैं। इन क्लोन को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के टाइसेक कोर के प्रमुख डॉ. संजय सक्सेना ने बताया कि आमतौर पर किसानों को आलू की खेती करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आलू का क्लोन तैयार करने की योजना बनाई गई। आलू का क्लोन टेस्ट ट्यूब में एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। क्लोन को तैयार करने में करीब तीन से चार माह का समय लग जाता है। क्लोन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी नए आलू की पैदावार की जाती है तो सभी आलू संक्रमण रहित पैदा होते हैं। इनमें कोई भी रोग नहीं होता है। इस क्लोन से एक जैसे लाखों या करोड़ों आलू एक ही बार में पैदा किए जा सकते हैं।

110 दिन में होगा तैयार : डॉ. सक्सेना के अनुसार क्लोन से तैयार किए गए आलू बड़ी–बड़ी कंपनियों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। चिप्स बनाने वाली कंपनियों को एक ही जैसे और बड़ी संख्या में आलू चाहिए होते हैं। क्लोन के चलते आलू की खेती करने में आसानी हो जाएगी। इस आलू की खेती 110 दिन में तैयार हो जाती है। क्लोन को अक्टूबर से पहले तैयार किया जाना जरूरी होता है, ताकि इसकी नवम्बर में बुआई की जा सके।

शीतगृह सत्र समाप्त होने के बाद की सावधानियाँ :

1. हमारी शीतगृहस्वामियों को सलाह है कि शीतगृह के कमरों से अमोनिया को रसीवर मे रखें परन्तु रसीवर में प्रेशर बन सकता है। अतः रसीवर में 30–40 प्रतिशत जगह खाली होना आवश्यक होता है।
2. अपने यहाँ लगे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर का तेल चेक करें, यह देखें की तेल निर्धारित मार्क निशान तक भरा हुआ है या नहीं। यदि नहीं भरा है तो उसे पूरा निशान तक भरवाएँ। यदि कहीं पर लीक है तो उसे टाइट करवाएँ। ट्रांसफार्मर के तेल की लीक बहुत आसानी से दिख जाती है। धीरे–धीरे तेल का लीक करना ट्रांसफार्मर की लाइफ के लिए ठीक नहीं होता और कभी

भी ट्रांसफार्मर जल जाने की सम्भावना बनी रहती है। ट्रांसफार्मर का तेल भी चेक करवा लें और यदि सही मानक का न हो तो उसे बदल दें या साफ करवा लें। बाजार से तेल का सीलबन्द डिब्बा ही खरीदें। खुला तेल न खरीदें।

3. कम्प्रेसर की देखभाल बहुत जरूरी है। यदि आपके कम्प्रेसर कुछ मरम्मत चाहते हैं तो पुराने पार्ट निकाल कर नये पार्ट डालने का कार्य करें। उन्हीं पार्ट को ठोक पीट कर चलाने की कोई कोशिश न करें। कम्प्रेसर के पार्ट केवल उसी कम्पनी के खरीदे जिसका कि वह कम्प्रेसर हो, इस मामले में जरा भी कंजूसी बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आजकल कम्प्रेसर के नकली पार्ट बहुत अधिक मात्रा में बाजारों में बिक रहे हैं। बहुत से छोटे–छोटे विक्रेता नामी कम्पनी के स्पेयर पार्ट जाली रूप से बेच रहे हैं। उनसे बचे और पार्ट खरीदने से पहले मुख्य कम्पनी से अवश्य पूछ लें की आप किस विक्रेता का माल खरीद रहे हैं।

4. एक दफा कम्प्रेसर के खुल जाने और मरम्मत पूरी हो जाने के बाद कम्प्रेसर आयल को अवश्य जाँच लें और जहाँ तक हो नया तेल सीलबन्द डिब्बों का ही खरीदें। इसमें भी अपनी कम्प्रेसर वाली कम्पनी जिसका कम्प्रेसर आपके यहाँ लगा है से सलाह लेना उचित रहेगा।

5. Condenser कण्डेंसर की सफाई : इस समय कण्डेंसर की सफाई जितनी जल्दी हो कर दें। धीरे–धीरे पाइपों पर पड़ी हुई पपड़ी कड़ी होती जाती है और बाद में बहुत समय लगता है और सफाई भी ठीक हो पाती कण्डेंसर पर सफाई के बाद Red oxide paint करवा दें। लेकिन यह पेन्ट Standard Company स्टैण्डर्ड कम्पनी का ही लें।

कण्डेंसर टैंक व कण्डेंसर पर पानी गिराने वाले पाइप की सफाई भी बहुत जरूरी है। कई दफा यह देखा गया है कि कण्डेंसर पर पानी गिराने वाले पाइप के अन्दर इतना मोटा स्केल जम गया है कण्डेंसर पर सही मात्रा में पानी भी नहीं गिर पा रहा है। इस दशा में सीजन में किसी प्रकार की मरम्मत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

414 / सी.एस.ए.27 / 60 / 2014 दिनाक 8.11.2014

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

महोदय,

विषय : फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में

कृपया ध्यान दें कि हमने अपनी पत्रिका में लिखा था कि फूड सेफ्टी एक्ट, जितना वह शीतगृह से सम्बन्धित है, उसकी तारीख 4 फरवरी, 2015 कर दी गई है यानि इस तारीख तक शीतगृह फूड

सेफ्टी एक्ट के अन्दर नहीं आते। अब एक नई जानकारी मिली है कि Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 जिसके अर्न्तगत सम्भवतः शीतगृहों को भी फूड सेफ्टी एक्ट में शामिल किया गया था को Cabinet द्वारा वापस ले लिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी सूचना हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जैसे–जैसे हमें और अधिक जानकारी मिलती जायेगी, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सरकार इस बिल में सुधार करके नया बिल लाने की चेष्टा कर रही है।

Withdrawal of the Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014.

The Cabinet today at the meeting chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi gave its approval for withdrawing the Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 as introduced in the Rajya Sabha on 19.02.2014.

Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2014 needs to be further amended after taking into account the Judgements of the Supreme Court Lucknow Bench of the Allahabad High Court and representations received by the Government and other recent developments. Based on further examination a fresh set of amendments will be finalized by the Ministry of Health and Family Welfare.

DS/NK/VK

(Release ID 111119)

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

कुछ जी.एम. आलू के सम्बन्ध में :

वैज्ञानिकों ने तैयार किया जी.एम. आलू :

आलू उत्पादन में नई क्रान्ति . . .

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने जेनेटिकली मोडीफाइड आलू विकसित किया है। टीम ने दावा किया कि इस आलू में सामान्य आलू के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा साठ प्रतिशत तक अधिक है।

यह खोज इंस्टीट्यूट फॉर प्लान्ट जीनोम रिसर्च (एन.आई.पी.जी.आर.) के वैज्ञानिकों की एक

टीम ने की है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि जी.एम. आलू में एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ाई गयी। हमें सामान्य आलू में एमिनो एसिड सीमित मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे जी.एम. आलू के उत्पादकों के मुकाबले इस आलू को लोग ज्यादा पसन्द करेंगे। रिसर्च टीम की मुखिया सुब्रा चक्रवर्ती ने बताया कि आलू भोजन में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है। विकसित देश हो या फिर विकासशील देश हो सभी देशों में लोग आलू को मुख्य रूप से अपने भोजन में शामिल करते हैं। इस नये आलू से उपभोक्ता के स्वास्थ्य में लाभ होगा। सुब्रा ने कहा कि हम जी.एम. फसलों के क्षेत्र को नया आयाम देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम जी.एम. उत्पादों को ज्यादा पोषक बनाना चाहते हैं। इस नये आलू का नाम ए.एम.ए. 1 रखा गया है। इस आलू की सात किस्में तैयार की जायेंगी। इसकी फसल अगले दो सालों में तैयार हो जाने की सम्भावना है। इन सभी किस्मों में सामान्य आलू की किस्म से 35 से 60 प्रतिशत ज्यादा प्रोटीन होगा। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्वों की भी मात्रा पर्याप्तता से ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों ने इस आलू की पैदावार भी सामान्य से ज्यादा होने का दावा किया है। उनका कहना है कि प्रयोग के दौरान इस जी.एम. आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सामान्य आलू से 15 से 25 प्रतिशत ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों की टीम ने इस आलू का खरगोश और चूहों पर परीक्षण किया है। इस परीक्षण से निकले परिणाम सकारात्मक बताये गये हैं। इस आलू का खरगोश और चूहों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। इस प्रकार हम समझते हैं कि भविष्य इस आलू का उत्पादन कई गुना बढ़ जायेगा। यह हमें न्योता देगा कि हम इसके भण्डारण के लिये शीतगृहों की क्षमता बढ़ायें।

– सब्जी जगत साप्ताहिक से साभार

औद्योगिक शिकायतों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का नया कदम :

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई online सेवा शुरू करी है जिसमें उघमी जाकर अपनी शिकायते दर्ज करा सकते हैं। हमें यह helpline बहुत सहायक नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य भी इसका प्रयोग करें और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखें, विशेषत्या शीतगृहों के नए Licence बनवाने व नवीकरण में आने वाली समस्याओं को इसमें जरूर रखें जैसे शीतगृहों से व्यर्थ में अग्निशमन के Certificate माँगना, जबकि शीतगृहों की ऊचाई 15 मीटर से कम है, पुराने शीतगृहों से PWD Certificate माँगना, आदि ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जो शीतगृहस्वामियों को इस helpline पर अवश्य डालनी चाहिए। सामूहिक रूप से जब यह समस्या सरकार के सामने आयेगी तो इसका अवश्य निराकरण होगा। यह सूचना हमें श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने भेजी है।

(8) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, नवम्बर, 2014

414 / सी.एस.ए.27 / 59 / 2014 दिनाक 8.11.2014

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

महोदय,

विषयः विदेश यात्रा के सम्बन्ध मे।

हमारे कुछ सदस्यो की विशेष मॉग पर विदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा मलेशिया व बाली द्वीप समूह की होगी। इस मे 6 रात 7 दिन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है।

मलेशिया मे Genting High Land जाने का भी विचार है। बाली द्वीप मे जो की Indonesia मे है तीन रात गुजराने का विचार है। यह यात्रा 20 जनवरी, 2015 के आसपास शुरु की जाऐगी जिस से की यह जनवरी माह मे ही समाप्त हो जाए। इसमे टोटल खर्च 1,00,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आने का अनुमान है। अभी सही हिसाब इस लिए नही निकाला गया है क्योकि यह इस बात पर आधारित होता है कि हवाई टिकट किस दर के मिलते है। हवाई टिकट मुख्य दो बातो पर चलते है कि टिकट कब बुक किए गए है व कितने लोग यात्रा कर रहे है। हमे अपनी स्वीकृती 5 दिसम्बर, 2014 तक आप 50,000 रुपए के बैक ड्राक्ट के साथ भेज दिजिए। ड्राफ्ट Cold Storage Association Uttar Pradesh, (payable at Lucknow) के नाम से भेजे। यह धन आप हमे RTGS द्वारा भी भेज सकते। RTGS का विवरण निम्न प्रकार हैः -

Account Name	Cold Storage Association Uttar Pradesh
Account Number	680310100010161
Bank Name	Bank of India
Branch Name	Aishbagh, Manohar Niwas, 278/81, Aishbagh Road, Lucknow 226004 Uttar Pradesh
IFSC Code	BKID0006803
Type of Account	Saving

ऊपर दिया हुआ प्रोग्राम अभी पूरी तरह तय नही किया है यदि कोई सूझाव है तो तुरन्त भेज दीजिए।

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)
अध्यक्ष

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनयी महँगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या 194/36–3–2014–07 (यू.वे.)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल–मजदूरी और परिवर्तनीय महँगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 (मात्र दो सौ सोलह) अंकों के ऊपर जनवरी, 2014 से जून, 2014 के औसत अंक 241 (मात्र दो सौ इकतालीस) पर दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :–

दृष्टांत : रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 241 पर दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित होगा –

$$\frac{(241 - 216)}{216} \times 5750 = 665.50 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महँगाई, भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं :–

क्र.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	
			दिनांक 1.4.2014 से दिनांक 30.9.2014 तक	दिनांक 1.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	612.27	665.50	6415.50	246.75
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	673.50	732.06	7057.06	271.42
3	कुशल	7085.00	754.42	820.02	7905.02	304.03

43. कोल्ड स्टोरेज।

(राकेश कुमार)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश।

मशरूम स्वास्थ्य का साथी और रोगों का दुश्मन :

फंगस या फंफूदी की कई नयी सारी प्रजातियाँ खाद्य पदार्थों में सड़न पैदा करती हैं। परन्तु फंगस की कुछ किस्मे न केवल खाने योग्य होती हैं वरन् सेहत के प्रति अत्यन्त लाभप्रद भी होती है। पतले से तने पर टिकी नर्म धारीधारनुमा टोपी जिसे हम मशरूम कहते हैं वह भी एक प्रकार का फंगस ही है। आजकल मशरूम की खेती काफी अधिक होती है। इनमें कायटीन, आयरन, जिंक तथा अन्य मिनरल्स व विटामिन और फाइवर भी अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं। इन दिनों हाईटेक मशरूम, रेशी मशरूम, मरईटेक मशरूम पर सबसे ज्यादा शोध कार्य हो रहे हैं। इन मशरूमों में कैंसररोधी तत्व पाये जाते हैं। शाईटेक मशरूम भूरे रंग के व उभरे हुये होते हैं। यह विभिन्न किस्में चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग में लायी जा रही हैं।

मशरूम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अत्यन्त सहायक है। शोध अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि मशरूम में पाये जाने वाले विशेष केमिकल्स न केवल हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूती देते हैं। वरन् शरीर में किसी प्रकार के ट्येमर को बढ़ने से भी रोकते है। मशरूम में पाये जाने वाले पॉलीसैकराइट्स तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के अलावा पाचन तंत्र को भी मजबूत कर शरीर में विभिन्न हार्मोनो के स्तर को संतुलित भी करते हैं। मशरूम में पाये जाने वाले एडाप्जोन नामक तत्व हमारे शरीर से थकान और तनाव को कम करने में सहायक है। मशरूम का सेवन ब्लड प्रेशर, रक्त वसा या कोलेस्ट्राल को कम करने व लीवर को मजबूत बनाने में सहायक है। मशरूम पेट व सीने की जलन, डायबिटीज व अन्य विषाणु जनित बीमारियों से दूर रखने में सहायक है। मशरूम में कैलोरीज कम होती है। बेजीटेबिल प्रोटीन की मात्रा खाने में स्वादिष्ट होने के साथ–साथ सेहत के लिये भी लाभप्रद होता है। इसमें पाया जाने वाला एक तत्व लेन्टिनॉन शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। यह मशरूम किसी प्रकार के वायरल के हमले से शरीर को बचाता है। यहीं नहीं इसमें शरीर में रक्त वसा (कोलेस्ट्राल) को कम करने का भी गुण होता है।

माइटेक मशरूम के लगातार सेवन से शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर बढ़ नहीं पाता है। यह शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से बचाव करता है। स्तन कैंसर व आंतों के कैंसर में इसकी उपयोगिता पर शोध कार्य जारी है। यह एड्स से लड़ने में भी मददगार सिद्ध हुआ है।

रेशी मशरूम ज्यादातर गोल या पंखनुमा आकार में पाये जाते है। इनके 6 रंग होते है। परन्तु लाल रंग के रेशी मशरूम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह मशरूम विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। रेशी मशरूम लीवर के लिये फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन व फॉस्फोरस काफी मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन सी व डी और बी का भी अच्छा श्रोत है।

विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) (unauthorized use of electricity) के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए प्रक्रिया :–

कई शीतगृहस्वामियों ने हमसे पूछा है कि शीतगृह में क्या अपने पुराने बिजली कनेक्शन के अन्दर वह कोई और छोटा–मोटा उद्योग लगाकर वही बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।

इसके लिए सलाह दी जाती है कि विद्युत का उपयोग केवल उसी उद्योग के लिए किया जा सकता है जिस उद्योग के लिए विद्युत उपयोग स्वीकृत किया गया हो अन्यथा वह उपयोग अपराधिकृत उपयोग की श्रेणी में आ जायेगा और उस पर दण्ड व्यवस्था का प्राविधान है जो कि विद्युत वितरण कोड की धारा 6.8 के अर्न्तगत आता है जो निम्न प्रकार है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी सदस्य विद्युत वितरण कोड अपने पास रखें जो कि सबसे नया और बाद तक संशोधित हो। इसे आप आलिया लॉ एजेन्सी, जी–1 शुक्ला पैलेस, नियर जवाहर भवन, सपू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ पिन–226001 उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए अपील करने का भी प्रविधान है। अपील करने की पूरी प्रक्रिया स्थान की कमी होने के कारण हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। वह आप, यदि आवश्यकता हो तो, विद्युत वितरण कोड में देख लीजिए।

6.8 अधिनियम की धारा 126 के अधीन विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए प्रक्रिया :

(क) (i) निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग से सम्बन्धित विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर या उच्चतर प्राधिकारी से अनुदेश पर तत्परता से सम्यक् तत्परता का प्रयोग करते हुए परिसर का निरीक्षण करेगा; (सलंग्नक 7.3 (i))

(ii) निर्धारण अधिकारी, यदि ऐसा करने के लिए अपेक्षित है, अपना कारबार कार्ड परिसर में प्रवेश करने के पूर्व उपभोक्ता को सौंपेगा। फोटो आई.डी. कार्ड को दल के प्रत्येक सदस्यों द्वारा वहन किया जायेगा;

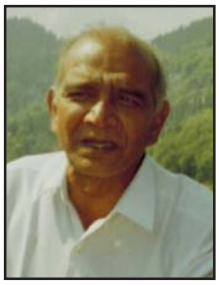

शोक संदेश

हमें अत्यत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्री लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, मालिक, गिरधर शीतालय प्रा. लि. बसखरी, अम्बेदकर नगर, उत्तर प्रदेश का स्वर्गवास हो गया है। 73 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास, 19 अक्टूबर, 2014 को हुआ।

आप शीतगृह संघ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य थे व बड़े शुभचिन्तकों में गिने जाते थे। आपके परिवार को इस अपूर्णनीय क्षति को सहन करने की भगवान शक्ति दें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।

(iii) उपेभाक्ता परिसर में पहुँच खण्ड 4.30 से 4.34 के अनुसार होगा। परन्तु तलाशी स्थल का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी चीजों की सूची तैयार की जायेगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा।

(iv) रिपोर्ट संयोजित भार, पुराने सील और पुनः सील करने की स्थिति और विवरण, मीटर के कार्य करने की स्थिति और नये सील का विवरण देते हुए तैयार की जायेगी। रिपोर्ट ध्यान में आयी किसी अनियमितता का उल्लेख करेगी, जो संलग्नक 6.4 में दिये गये प्ररूप में विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के अनुमान को निर्दिष्ट कर सकता है। निरीक्षण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए सील का वहन करेगा;

(v) रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगी कि क्या इस तथ्य के प्रमाणित करते हुए निश्चायक साक्ष्य है या नहीं कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग पाया गया था। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को समुचित रसीद के अधीन तत्काल स्थल पर सौंपा जायेगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा या तो रिपोर्ट को स्वीकार करने या रसीद देने के लिए इन्कारी के मामले में, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिसर में/बाहर सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा और उसका फोटो चित्र लिया जा सकेगा। साथ ही साथ रिपोर्ट निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक/त्वरित डाक के अधीन उपभोक्ता को भेजी जायेगी;

(vi) निरीक्षण की तारीख के तीन कार्य दिवस के अन्तर्गत, निर्धारण अधिकारी सावधानीपूर्वक सभी साक्ष्य का विद्युत उपभोग, जहाँ उपलब्ध है, तथा निरीक्षण रिपोर्ट भी सम्मिलित है पर विचार करने के बाद मामले का विश्लेषण करेगा, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विद्युत का कोई अप्राधिकृत प्रयोग नहीं हुआ है, तो आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ख) उपभोक्ता को नोटिस और उसका उत्तर

(i) यदि निर्धारण अधिकारी यह संदेह करता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है (जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण के अधीन परिभाषित है), वह उपभोक्ता को सुनवाई की तारीख नियत करते हुए समुचित रसीद के अधीन उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पन्द्रह कार्य दिवस देते हुए कारण बताओ नोटिस के साथ औपबन्धिक निर्धारण बिल देगा;

(ii) यह नोटिस प्रभारों और औपबन्धिक निर्धारण के विरुद्ध उपभोक्ता से लिखित में आक्षेप आमंत्रित करेगा और सुनवाई की तारीख पर उपभोक्ता की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा।

(ग) सुनवाई

(i) सुनवाई की तारीख पर, निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता को सुनेगा। निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता द्वारा पेश किये गये तथ्यों पर सम्यक् विचार करेगा और सात कार्य दिवस के भीतर सकारण आदेश पारित करेगा कि क्या अप्राधिकृत विद्युत उपभोग का मामला पारित किया गया है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा उसके लिखित उत्तर में और सुनवाई के दौरान दिया गया तर्क अन्तर्विष्ट होगा;

(ii) आदेश की प्रतिलिपि समुचित रसीद के अधीन उपभोक्ता को दी जायेगी और आदेश को स्वीकार करने के लिए इन्कारी के मामले में या उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उसे पंजीकृत डाक/त्वरित डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। उपभोक्ता से निर्धारण के लिए अन्तिम आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) यदि निर्धारण अधिकारी पाता है कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण के अधीन परिभाषित है, तो यह उपधारणा किया जायेगा, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता, कि विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग या तो दुरुपयोग की वास्तविक तारीख से, यदि उपलब्ध है या घरेलू और कृषि सेवा के मामले में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन मास के लिए और सेवाओं के सभी अन्य संवर्ग के लिए निरीक्षण की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छः मास की अवधि के लिए जारी था और वह यह निर्धारण अंतिम है। मूल प्रति में भी यह त्रुटि है। सुधार लेना उचित होगा। रूप से संलग्नक 6.3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपभोग का निर्धारण करेगा;

(iv) उक्त (iii) के अधीन निर्धारण सेवा के सुसंगत वर्ग के लिए लागू टैरिफ दर के डेढ़ गुना दर पर किया जायेगा। इस दर (टैरिफ दर का डेढ़ गुना) पर बिल में दी गई धनराशि को मासिक/वार्षिक प्रभार जहाँ कहीं लागू हो। का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता के दायित्व की संगणना करने के लिए सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित